संख्या- 73/XIX/06-38 खाद्य/02

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिला नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग — देहरादून: दिनांक: 16 जनवरी 2006

विषय: जनपद टिहरी के नैनबाग स्थान पर खाद्यान्न गोदाम का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत हेतु वर्ष 2005-2006 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या-524/आ0ले0शा0/गोदाम नि0/05-06, दिनांक-28 नवम्बर, 2005 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के नैनबाग स्थान पर खाद्य गोदाम निर्माण के लिए परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, नई टिहरी द्वारा तैयार रू0 36.58 लाख के आगणन को T.A.C. द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 29.19 लाख अनुमोदित किया गया था जिसके विरूद्ध रू0 10 लाख की प्रथम किस्त शासनादेश दिनांक- 10.01.2003 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त योजना हेतु सी0 एण्ड डी0ए0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित/संशोधित आगणन रू0 52.56 लाख के सापेक्ष T.A.C. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत के अनुरूप रू0 45.40 लाख (रूपये पैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र) के आगणन की अब पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2005-2006 में निम्नवर्ण कार्य के लिए स्वीकृति हेतु रू0 10.00 लाख की स्वीकृति द्वितीय किस्त के रूप में शासनादेश संख्या-502/XIX/2004, दिनांक-14.09.2004 द्वारा दी गयी थी। श्री राज्यपाल उक्त योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 25.40 लाख के सापेक्ष तृतीय किस्त के रूप में रू0 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करते है।

1. उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-16, उ0प्र0 जल निगम, हरिद्वार को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों का पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। पुनः पुनरीक्षित किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

3. एक मुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों व विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से स्थल परिक्षण कराया जाये एवं तदनुसार ही कार्य किया जाय।

6. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर मर्यादा रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही प्लान आउटले के अनुसार आगामी किस्त स्वीकृत की जायेगी।

8. आगणन में जिन मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति दी जा रही है, उन्ही मदों पर व्यय किया जाये। इस बात का कडाई से पालन किया जाय। कदापि अन्य मदों के उपयोग में नही लाया जायेगा। शासन के आदेशों का अनुपालन कडाई से किया जायेगा।

9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई कार्यदायी संस्था का होगा।

10. स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुदान संख्या 25-लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डारागारण पर पूंजीगत परिव्यय-02-भण्डारण तथा भण्डारागारण-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-91-जिला योजना में गोदाम निर्माण कार्य-00-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 26/वित्त अनुभाग-5/2005, दिनांक- 09 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गदन सिंह)
सचिव।

संख्या-73 (1)/ XIX/06-38 खाद्य/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन मालरा, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. संभागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
7. संभागीय लेखाधिकारी, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-16, उ0प्र0 जल निगम, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग/गार्ड फाईल।
10. समन्वयक एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(एस0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।